

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 33 अ-82/17-18/जामगांव//०२०५/बैतूल दिनांक²⁰. 8.2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषय:- ग्राम जामगांव तहसील मुलताई के भू-अर्जन प्रकरण में
सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

-०-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत लिहदा लघु जलाशय
हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाधात रिपोर्ट की छाया प्रति
संलग्न है।

उक्त सामाजिक समाधात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों
में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(शशांक मिश्र)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
पृ०क० 33 अ-82/2017-18//०२०५/ बैतूल दिनांक २०-८-2018
प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, समाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

2- कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग मुलताई को अग्रेषित समाजिक समाधात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

5- तहसीलदार मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई

प्रकरण क्रमांक 33 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा जामगांव

दिनांक 6/7/2018

प्ररूप "ख"

(नियम -5 देखिए)

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट

- (1) परियोजना विकास का नाम :— कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग मुलताई
- (2) लोक प्रयोजन :— लिहदा लघु जलाशय
- (3) स्थल :— जामगांव
- (4) परियोजना का क्षेत्र :— 68.609 हे.
- (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :— हाँ
- (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता
की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :— हाँ
- (7) परियोजना निर्माण के चरण :— प्रथम चरण
- (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :— रकबा 68.609 हे.
- (9) परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :— 68.609 हे.
- (10) भूमि का मूल्य :— 770000/-प्रति हे.(सिंचित)
:— 385000/- प्रति हे.(असिंचित)
- (11) प्रभावित परिवारों की संख्या

(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार)

(12) परिसंत्तियां—

लोक सम्पत्ति— भूमि निरंक भवन निरंक अन्य

निजी सम्पत्ति— भूमि 68.609 हे. भवन निरंक अन्य

(13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

जिनकी भूमि अर्जित हुई—

ग्राम:— जामगांव परिवारों की संख्या:— 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए—

ग्राम:— जामगांव

परिवारों की संख्या:— 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
0	0	0	0

(14) सामाजिक समाधात


- (क) समाधातों का विवरणः— निरंक ।
 (ख) समाधातों की संकेतक सूचीः— निरंक ।

(15) विकल्प जिन पर विचार किया गया:-

- (क) यदि हां—तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?— लिहदा लघु जलाशय
 (ख) यदि नहीं— तो क्यों ? :— निरंक ।

(16) निष्कर्षः—

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
 (2) प्रभावित भूमि के अर्जन कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
 (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
 (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
 (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
 (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से कायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।



अनुविभागीय अधिकारी (रा)
 मुलताई (अध्यक्ष)



श्री मुरारी अग्रवाल
 व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित
 व्यक्ति (सदस्य)



उपवन भडलाधिकारी
 मुलताई (सदस्य)



अनुविभागीय अधिकारी
 जल संसाधन उपसंभाग
 मुलताई (सदस्य)